[No. A. 11018/19/2016-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 22.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (समूह 'घ') पद भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक उनका संबंध चौकीदार, चपरासी/संदेशवाहक, प्रधान चपरासी/दफ्तरी, गेस्टेटनर ऑपरेटर, सफाइकर्मी, दरबान, फराश, गैस कूली, प्रधान माली, जमादार, माली, टेनिस मार्कर, जल वाहक, टी-मेकर और वॉश बॉय के पद से है, सिवाय उन बातों के अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में बहु-कार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, भर्ती नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.—** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने का अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारीवृंद	98* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रुपए) में स्तर-1	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में आयु-सीमा शिथिल

					करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी, न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिक या समतुल्य उत्तीर्ण या किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**विभागीय पुष्टि समिति की संरचना:** 1. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के उपनिदेशक प्रशासन - अध्यक्ष 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में अस्पताल प्रशासन के प्रभारी अनुभाग अधिकारी - सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं. ए.12018/06/2014-एमएच II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 11th January, 2019

G.S.R. 22.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital (Group 'D') posts Recruitment Rules, 1979, in so far as they relate to the post of Chowikidar, Peon/Messenger, head Peon/Daftry, Gestetner Operator, Cleaner, Darbang, Farash, Gas Coolies, Head Mali, Jamadar, Malis, tennis Marker, Water Carrier, Tea Maker and Wash Boy, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Multi Tasking Staff posts in Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital of Delhi under Ministry of Health and Family Welfare namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital New Delhi, Multi Tasking Staff, Recruitment Rules, 2018.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application .—** These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification, level in pay matrix.—**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.—**No person, —

(a)Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Staff Selection Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving .—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff	98* (2018) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of

					applications (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or Institution or Industrial Training Institute (ITI) pass from a recognised Board or Institution	Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Composition of Departmental Confirmation Committee**: Deputy Director Administration of Lady Hardinge Medical College -Chairman; Section Officer, incharge of administration of the Hospital in Directorate General of Health Services -Member' Administrative Officer, Lady Hardinge Medical College -Member.	Not applicable.

[No. A.12018/06/2014-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2019

सा.का.नि.23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (कनिष्ठ हिंदी अनुवादक) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2005 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के